"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 273] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 24 अक्टूबर 2006—कार्तिक 2, शक 1928

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ 8-14/2006/धर्मस्व.—राज्य शासन एतद्द्वारा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त कार्यपालिक शक्तियों का प्रयोग करके कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को आर्थिक सहायता देने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ—**

(1) यह नियमों कैलाश-मानसरोवर तीर्थयात्रा आर्थिक सहायता नियम, 2006 कहलाएंगे,

(2) यह संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर लागू होंगे,

(3) यह तत्काल प्रभावशील होंगे,

2. **आर्थिक सहायता की पात्रता—**

(1) इन नियमों के अंतर्गत आर्थिक सहायता की पात्रता केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को होगी,

स्पष्टीकरण :— छत्तीसगढ़ के मूल निवासी का तात्पर्य छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगा.

(2) किसी भी व्यक्ति को आर्थिक सहायता की पात्रता जीवनकाल में केवल एक बार होगी,

(3) आर्थिक सहायता की पात्रता वित्तीय वर्ष 2006-2007 में अथवा उसके पश्चात् कैलाश-मानसरोवर तीर्थयात्रा पूर्ण करने वाले व्यक्तियों को होगी.

3. **सहायता राशि—**

सहायता राशि तीर्थयात्रा पर हुए वास्तविक व्यय का 50 प्रतिशत या अधिकतम 25,000 रुपये जो भी कम हो तक होगी.

4. **आर्थिक सहायता स्वीकृति की प्रक्रिया—**

आर्थिक सहायता के लिए आवेदन पत्र इन नियमों की अनुसूची में दिए गए प्रपत्र में कैलाश-मानसरोवर तीर्थ यात्रा पूर्ण करने के उपरान्त प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल को दिया जाना चाहिए और प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल आवेदन पत्र के परीक्षण के उपरान्त आर्थिक सहायता स्वीकृत कर सकेगा.

5. **नियमों की व्याख्या एवं कठिनाई दूर करने की शक्ति—**

इन नियमों की व्याख्या के संबंध में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा, तथा राज्य शासन आदेश द्वारा इन नियमों के संबंध में किसी कठिनाई को दूर कर सकेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, अवर सचिव.

अनुसूची
(नियम 4)

कैलाश-मानसरोवर की तीर्थयात्रा हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र

प्रति,

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल
पर्यटन भवन
इंदिरा गांधी मार्ग
होटल छत्तीसगढ़
रायपुर.

1. तीर्थयात्री का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. व्यवसाय :
4. निवास स्थान का पूर्ण पता (दूरभाष क्रमांक के साथ) :
5. कैलाश-मानसरोवर तीर्थयात्रा पूर्ण करने का प्रमाण (पासपोर्ट की प्रति के साथ) :
6. कैलाश-मानसरोवर तीर्थयात्रा पर हुए व्यय का विवरण :
7. क्या यह प्रथम कैलाश-मानसरोवर तीर्थयात्रा है :
8. क्या आवेदक ने इसके पूर्व इन नियमों के अधीन कैलाश-मानसरोवर तीर्थयात्रा के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त की है. :
9. कैलाश-मानसरोवर तीर्थयात्रा की अवधि :
10. कैलाश-मानसरोवर तीर्थयात्रा का मार्ग :
11. **घोषणापत्र**—मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं/करती हूं कि इस आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी पूर्ण सत्य है. मैं यह स्वीकार करता हूं/करती हूं कि यदि मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी असत्य प्रमाणित हुई तो कैलाश-मानसरोवर तीर्थयात्रा के लिए दी गई आर्थिक सहायता राशि मुझसे भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूली योग्य होगी.

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

Raipur, the 24th October 2006

NOTIFICATION

No. F 8-14/2006/Dharmasva.—In exercise of the executive powers conferred on it by the constitution of India, the State Government hereby makes the following rules, namely :—

RULES

1. **Short title, extent and commencement—**

(1) These rules shall be called the Kailash-Mansarowar pilgrimage financial assistance rules, 2006.

(2) They shall extent to the whole of Chhattisgarh,

(3) They shall come into force immediately.

2. **Eligibility for financial assistance—**

(1) Only bona-fide residents of Chhattisgarh shall be eligible for financial assistance under these rules.

Explanation—The meaning of bona-fide resident of Chhattisgarh shall be according to the instructions issued by Government of Chhattisgarh, General Administration Department in this regard from time to time.

(2) Any person will be eligible for financial assistance only once in his lifetime,

(3) Persons completing Kailash-Mansarowar pilgrimage in the financial year 2006-2007 and subsequently shall be eligible for financial assistance.

3. **Amount of assistance—**

The amount of assistance shall be 50% of the actual expenditure on the pilgrimage to a maximum of Rupees 25,000/-

4. **Procedure for sanction of assistance—**

The application for financial assistance should be given to the Managing Director Chhattisgarh Tourism Board, in the form given in the schedule to these rules, after completion of the Kailash Mansarowar Pilgrimage and Managing Director Chhattisgarh Tourism Board, may after examining the application, sanction financial assistance.

5. **Power to interpret rules and removal of difficulties—**

The decision of the State Government with respect to the interpretation of these rules shall be final and the State Government may by order remove any dificulty with respect to these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
WILLIAM KUJUR, Under Secretary.

SCHEDULE
(Rule 4)

Application for getting financial assistance for Kailash-Mansarowar Pilgrimage

To,

The Managing Director
Chhattisgarh Tourism Board
Paryatan Bhavan
Indira Gandhi Marg
Hotel Chhattisgarh
Raipur.

1. Name of the Pilgrim :
2. Father's/Husband's Name :
3. Profession :
4. Complete residential address (including phone number) :
5. Proof of completing Kailash-Mansarowar Pilgrimage (with a copy of the passport) :
6. Particulars of the expenditure on the Pilgrimage. :
7. Is this the first Kailash-Mansarowar Pilgrimage. :
8. Has the applicant availed of financial assistance for Kailash-Mansarowar Pilgrimage under these rules previously. :
9. The Duration of Kailash-Mansarowar Pilgrimage. :
10. The route of Kailash-Mansarowar Pilgrimage. :
11. I solemnly declare that the information given in this application is true. I agree that if any information given by me is proved to be false, the financial assistance given to me for Kailsha-Mansarowar Pilgrimage may be recovered from me as arrears of land revenue.

Place :

Date : **Signature of the Applicant**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.